भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2803**

(जिसका उत्तर 20 मार्च, 2018/29 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को दिया जाना है)

**ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) में धोखाधड़ी**

2803. श्री नीरज शेखरः

श्री रवि प्रकाश वर्माः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) में 390 करोड़ रुपए की एक और धोखाधड़ी प्रकाश में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कथित धोखाधड़ी में जांच करके इस संबंध में जिम्मेदारी तय की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)**

**(क) और (ख):** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) द्वारा दायर की गई धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट (एफएमआर) के अनुसार, फॉरेन लैटर्स ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत बिलों की भुनाई की सुविधा में धोखाधड़ीपूर्ण लेन-देनों के संबंध में बैंकों ने दिनांक 13.10.2014 को मैसर्स द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स द्वारका दास सेठ एसईजेड इंडिया इन कारपोरेशन के विरुद्ध 363.52 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की सूचना दी थी।

**(ग) से (ड.):** ओबीसी ने सूचित किया है कि केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो (सीबीआई) में एफआईआर दर्ज की गई है, 12 कर्मियों को जबावदेह ठहराया गया है तथा वित्‍तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई पूरी हो गई है और ऋण वसूली अधिकरण में दायर वाद में बैंक के पक्ष में निर्णय आया है।

\*\*\*\*\*